भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

सं. 6/02/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 17 दिसंबर 2024

जांच समाप्ति अधिसूचना
मामला सं. एडी(ओआई)-02/2024

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैक्रिन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की समाप्ति।

क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स स्वाति पैट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स ब्लू जेट हैल्थकेयर लिमिटेड (जिन्हें यहां "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकरी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल की अथवा वहां निर्यातित "सैक्रिन" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया था।

2. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु की।

3. तदनुसार, प्राधिकारी ने चीन जन.गण.के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सैक्रिन" के आयातों से संबंधित संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित

अधिसूचना सं. 6/02/2024-डीजीटीआर दिनांक 26 मार्च, 2024 के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संगत देश के दूतावास को सूचित किया।

5. प्राधिकारी ने दिनांक 26 मार्च, 2024 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को भेजी थी और उनसे विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

6. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई।

7. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था।

8. जांच शुरुआत अधिसूचना और सूचना के उत्तर में संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करके प्राधिकारी को जवाब दिया।

ग. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

9. आवेदक ने दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के अपने पत्र द्वारा अपनी याचिका को यह बताते हुए नई जांच अवधि में उसे पुन: प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने का अनुरोध किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने "चीन जन.गण. के मूल के सैक्रिन के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच (मामला सं. सीवीडी 05/2018)" में मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. घरेलू उद्योग मैसर्स स्वाति पैट्रो प्रोडक्ट्स और मैसर्स ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा उनके दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के ईमेल के माध्यम से किए गए अनुरोध की जांच की गई है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) का पाठ निम्नानुसार है:

जांच की समाप्ति - निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि - (क) उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरु की गई थी, से या उसकी ओर से ऐसा करने का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

11. यह नोट किया जाता है कि नियम 14 ऐसी परिस्थितियों में जांच समाप्ति का प्रावधान करता है जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाए। नियमावली के नियम 14(क) में प्रावधान है कि प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरु की गई थी, से या उसकी ओर से ऐसा करने का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

12. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग बनाने वाले मैसर्स स्वाति पैट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स ब्लू जेट हैल्थकेयर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शुरु की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) में प्राधिकारी के लिए ऐसी स्थिति में जांच समाप्त करना अपेक्षित है, यदि घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरु की गई थी, जांच को समाप्त करने का लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।

ड. निष्कर्ष

13. घरेलू उद्योग मैसर्स स्वाति पैट्रो प्रोडक्ट्स और मैसर्स ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोध के मद्देनजर और नियमावली के नियम 14(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकारी एतदद्वारा चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 'सैक्रिन' के आयातों से संबंधित अधिसूचना सं. 6/24/2023-डीजीटीआर दिनांक 26 मार्च 2024 के माध्यम से शुरु की गई जांच को समाप्त करते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी